संख्या-15/2024/आई/681038/2024/10-22099/1537/2020

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 02 जुलाई, 2024

विषय: महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत तक पहुंचने पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए उपदान की अधिकतम सीमा में वृद्धि ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2018) की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-38/2016-सा-3-921/दस-2016/308-2016 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-8(2) में निम्नवत् व्यवस्था की गयी है:-

"8(2)- सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रूपये 20 लाख होगी। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो जाने पर उपदान की सीमा 25 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी।"

2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 12.03.2024 द्वारा दिनांक 01.01.2024 से महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 50 प्रतिशत कर दी गयी है। शासन से निरन्तर इस संबंध में जिज्ञासा की जा रही है कि क्या दिनांक 01.01.2024 से उपदान की अधिकतम सीमा रू. 25 लाख हो जायेगी।

3- यद्यपि इस संबंध में शासनादेश दिनांक 23.12.2016 की व्यवस्था स्पष्ट है, तथापि इस संबंध में मुझे स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2024 से महंगाई भत्ते

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की दर वेतन का 50 प्रतिशत हो गयी है, अत: उपरोक्त शासनादेश दिनांक 23.12.2016 की व्यवस्थानुसार दिनांक 01.01.2024 को अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों को देय उपदान की अधिकतम सीमा रू. 25 लाख होगी।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ.प्र., 1018-जवाहर भवन, लखनऊ।
2. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, सेक्टर-24/3 ((वित्तीय प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर), इन्दिरा नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,
संजय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।